Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Si... UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

प्रकीर्ण परिवाद सं0 05/2023

श्रीमती हिमानी बिष्ट,
पुत्री श्री सुरेन्द्र बिष्ट,
निवास–राजोवाली, होरावाला,
विकासनगर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 27.02.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रकीण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 38/2023 श्रीमती हिमानी बिष्ट, पुत्री श्री सुरेन्द्र बिष्ट, निवासी– राजोवाली, होरावाला, विकासनगर, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विकासनगर के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 12.09.2023 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

मंच द्वारा वाद संख्या 38/2023 में पारित निम्न आदेशानुसार ***"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माननीय UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 3: Releasae of New Connections के Table 3.5 के अनुसार 10 किलोवाट से 25 किलोवाट***

संयोजन हेतु उपभोक्ता से किसी भी प्रकार के ***Transformer*** *का शुल्क/मूल्य नहीं लिया जाना चाहिए एवं उपरोक्त विनियम के ही* ***CHAPTER 3: Releasae of New Connections*** *के* ***3.3.1.(2)b*** *के अनुसार ही परिवादिनी संयोजन पाने का आधिकारी है। उपरोक्त परिस्थितियों के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी परिवादिनी को पंजीकृत संख्या 446070123020 के सापेक्ष प्रेषित मॉग पत्र जिसका भुगतान परिवादी द्वारा रू0 4,95,500.00 रसीद संख्या 14446020223W990001 के द्वारा दिनांक 02/02/2023 को किया जा चुका है को निरस्त कर उक्त प्राकलन के स्थान पर उपरोक्त रेगुलेशन के अनुसार* ***the distance of the premises from the LT Main 176.5 Meters.*** *मानते हुए* ***Executed Estimate*** *बनाये एवं उस धनराशि को वर्तमान प्रकालन से घटाते हुए बची हुई शेष धनराशि परिवादिनी को लौटाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रस्तुत प्राकलन में* ***Transformer*** *के लिए ली गई धनराशि भी परिवादिनी को वापस लौटाई जाए। वापिस लौटाई जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा"* का विद्युत विभाग द्वारा आज दिनांक 13/10/2023 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 12.09.2023 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपने पत्रांक संख्या 3326 दिनांकित 04.011.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 फोरम के दिनांक 12.09.2023 के अनुपालन में उपभोक्ता को पूर्व में प्रेषित मांग पत्र इस कार्यालय के ज्ञापन सं0 2907/वि0वि0ख0वि0/दिनांक 07.10.2023 के द्वारा रू0 496500.00 से संशोधित कर रू0 399200.0 कर दिया गया है, जिसे मुख्यालय से निधि प्राप्त होने पर उपभोक्ता को वापस कर दिये जायेंगे।

सुनवाई के उपरान्त विपक्षी द्वारा दूरभाष के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मंच के आदेश का अनुपालन कर परिवादी को रू0 389000.00 लौटा दिये गए है।

अतः इस परिस्थिति में विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 12.09.2023 का अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/02/2024 27/02/24 27-02-24

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

प्रकीर्ण वाद संख्या 06/2023 से 14/2023

प्रकीर्ण परिवाद सं0 06/2023 — परिवादी
श्रीमती ऋतु भारद्वाज — एवं
पत्नी श्री ऋषिराज भारद्वाज,
निवासी– ई0एफ0 – 301, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

प्रकीर्ण परिवाद सं0 07/2023 — परिवादी
श्री नीतिराज सिंह रावत — एवं
पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह रावत,
निवासी– सी0डी0 – 408, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

प्रकीर्ण परिवाद सं0 08/2023 — परिवादी
श्री विनय महेश्वरी, — एवं
पुत्र श्री विनोद कुमार महेश्वरी,
निवासी– ई0एफ0 –602, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

प्रकीर्ण परिवाद सं0 09/2023 — परिवादी
श्रीमती विनिता रावत, — एवं
पत्नी श्री भवानी सिंह रावत,
निवासी– सी0डी0 –406, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

प्रकीर्ण परिवाद सं0 10/2023 — परिवादी
श्रीमती संगीता मल्ल, — एवं
श्री विजेन्द्र शमशेर मल्ल,
निवासी– सी0डी0 –201, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

प्रकीर्ण परिवाद सं0 11/2023 — परिवादी
श्री दिनेश कुमार, — एवं
पुत्र श्री जय भगवान,
निवासी– सी0डी0 –204, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

प्रकीर्ण परिवाद सं0 12/2023 — परिवादी
श्री विजय कुमार गुप्ता, — एवं
निवासी– सी0डी0 –208, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रकीर्ण परिवाद सं0 13/2023 — परिवादी
श्रीमती पूर्णिमा उप्रेती,
पत्नी श्री राजेश उप्रेती,
निवासी– सी0डी0 –005, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

एवं

प्रकीर्ण परिवाद सं0 14/2023 — परिवादी
श्री प्रदीप कुमार वैश,
पुत्र श्री ओ0पी0 वैश,
निवासी– सी0डी0 – 302, यश ग्रीन अपार्टमेन्ट,
माजरा, देहरादून।

एवं

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 21.02.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रर्कीण परिवाद परिवादियों द्वारा मंच के पूर्व परिवाद संख्या 51/2023 से 59/2023 सभी वाद यश ग्रीन अपार्टमेन्ट, माजरा, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 26.10.2023 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

मंच द्वारा वाद संख्या 51/2023 से 59/2023 में पारित निम्न आदेशानुसार ***"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित** किया जाता है कि परिवादीगणों के विद्युत संयोजनों को **RTS-1 SINGLE POINT BULK SUPPLY ABOVE 75 KW** की श्रेणी से **RTS-1 OTHER DOMESSTIC LOAD ABOVE 4 KW** की श्रेणी में परिवर्तित करें एवं भविष्य हेतु*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादीगणों की विद्युत संयोजनों की बिलिंग ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 3: Release of New Connections 3.6(6)*** *के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें "* का विद्युत विभाग द्वारा शिकायत पंजीकृत कराये जाने की तिथि दिनांक 17/12/2023 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 21.10.2023 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 3463 दिनांकित 05.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मंच कार्यालय पत्रांक संख्या 260/उ0शि0नि0मं0/ ग0क्षे0/फोरम दिनांक 26.10.2023 के द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित व्यक्तिगत सिंगल प्वाईट बल्क सप्लाई के संयोजन को घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादियों की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः इस परिस्थिति में विपक्षी द्वारा परिवादियों की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 21.10.2023 का अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाते है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/02/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/02/24
(सईद अंहमद)
तकनीकि सदस्य

21-02-202
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 112/2023

DOON BUSINESS SCHOOL,
122-MI Selaqui,
Dehradun.

परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 17.02.2024

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding excess billng in r/o Connection No. MPK0K000019202 of Doon Business School Selaqui Refrence bill No.29532230906000003 dated 06-09-2023 for account No 40116948135) an amount of INR 4,51,962/- (Rupees four lakh Fifty one thousand nine hundred and sixty two only) has been charged as 'Adjustment (assessment for meter slow as per AE(M) letter no 462 dated 07/06/2023'.

This has been done by installing a check meter at our location, comparing its readings with the main Meter and subsequently interpolating the difference over the already paid and settled monthly bills of last one year (from 01/05/2022 to 25/04/2023.

However it is evide3nt from a scrutiny of the electricity bills of last four years for the above connection that monthly bill amounts have been averaging Aaround INR 4,000/- to 8,000/- during the 2020-21, 24,000/- to 36,000/- during 2021-22 and 50,000/- to 60,000/- during

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली-रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2022-23 period (table showing details of monthly bills from Aug 2020 to sep 2023 is enclosed for refrence please) .

The only spike during the month of May 2023 (INR 89,135/-) is due to fact that the inverter of our 25 KVA solar connection (whose surplus output is fed into the above connection thus bringing down our consumption from UPCL) was non-finctional during the month of April 2023 as a result of which there was no output from our solar plant and thereby consumption of UPCL supply was more than normal till a new inverter was installed in the last week of May 2023 (copy of the Delivery Note of the new inverter is enclosed for refrence). In view of the above, it is evident that the pattern of electricity consumption and its billing for our above connection has been perfectly normal and the decision to penalize us by adding a factor of 40% to the old (already paid and settled) electricity bills of 2022-23 is not justified. It may also be noted that the said meter is installed on the electricity pole outside our premises and there has been no tampering. Therefore, it is submitted that our monthly bill be corrected by removing the 'Adjustment charges' of INR 4,51,962/- (Rupees four lakh fifty one thousand nine hundred and sixty two only).

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधि0अभि ने आख्या पत्रांक 4651, दिनांकित 17/10/2023 से मंच कों निम्नवत् अवगत कराया है :–

1. उपभोक्ता मै0 दून बिजनेस स्कूल, 122– एम0आई सेलाकुई, जिला–देहरादून, संयोजन सं0 MP0K000019202 के परिसर पर स्थापित दिनांक 10.04.2023 को मापक सं0 XC442109 की जॉच करने हेतु चैक मीटर स्थापित किया गया।

2. दिनांक 25.04.2023 को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित चैक मीटर को उतारा गया, तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड (ग्रा0), के कार्यालय पत्रांक 462/वि0प0ख0ग्रा0देदून/उपाकालि/एमव–1 दिनांक 07.06. 2023 के अनुक्रम में उपभोक्ता का मापक 40.21% slow पाया गया।
3. उपभोक्ता के मापक slow पाये जाने के उपरांत उपभोक्ता को Assessment की धनराषि रू0 4,51,962.00 हेतु प्रेषित की गयी, जिस पर उपभोक्ता द्वारा अपने पत्र सं0 DBS/UPCL/2023/2/ दिनांक 03.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अनुरोध किया गया कि उन पर आरोपित निर्धारण की धनराशि पर पुनर्विचार किया जाये एवं संशोधित किया जाये, जिस पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा पत्रांक 4643/वि0वि0ख0(मोहनपुर) देहरादून/Assessment सम्बन्धी दिनांक 17.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उपभोक्ता के मापक की पुनः जॉच करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड (ग्रा0), से अनुरोध किया गया।
4. अतः मा0 मंच से अनुरोध है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड (ग्रा0) की जॉच के उपरान्त सुनवाई हेतु अन्य दिनांक देने की कृपा करें।

मंच द्वारा नियत सुनवाई तिथि दिनांक 19.10.2023 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख विपक्षी को सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराया गया जिसके प्रतिउत्तर में विपक्षी द्वारा अपनी एक अन्य आख्या पत्रांक 5012, दिनांकित 28.11.2023 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया हैः–

1. बिन्दु सं0 01 सं0 04 तक के क्रम में अवगत कराना है कि विभागीय नियमानुसार ही चैक मीटर स्थापना एवं उतारने की कार्यवाही की गई।
2. बिन्दु सं0 05 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि खण्ड के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की एम0आर0आई0 का समय–2 पर विश्लेषण किया जाता है जिसमें उपभोक्ता मै0 दून बिजनेस स्कूल,122–एम0आई0 सेलाकुई, जिला–देहरादून, संयोजन सं0 MP0K000019202 की एम0आर0आई0 विशलेषण करने पर B phase करन्ट शून्य पाई गयी थी जिसके उपरान्त उपभोक्ता परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया था चूँकि इस सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर हेतु आवेदन नहीं किया गया था। अतः उक्त चैक मीटर स्थापित किये जाने हेतु उपभोक्ता को पूर्व में सूचना नहीं दी गयी, दिनांक 10.04.2023 को चैक मीटर सीलिंग

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रमाण पत्र पुस्तक सं0 13/12 के द्वारा स्थापित किया गया जिसकी सूचना मौके पर उपस्थित उपभोक्ता के प्रतिनिधि को दे दी गयी एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर भी मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र पर दर्ज कराये गये हैं। (संलग्नक–1) अतः शिकायतकर्ता के सम्पूर्ण जानकारी थी। अतः उनका यह कथन गलत है।

3. बिन्दु सं0 06 के क्रम में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड (ग्रा0), कार्यालय द्वारा मीटर उतारते समय सीलिंग प्रमाण पत्र पुस्तक सं0 13/20 दिनांक 25.04.2023 में दर्ज किया गया कि "मापक 40.21% slow मेंन मीटरिंग क्यूबिकल की B phase की CT को बदलकर उपभोक्ता मीटरिंग ठीक कर दी है मीटर की MRI का विश्लेषण करके निर्धारण हेतु वि0वि0ख0,मोहनपुर को अवगत करा दिया जायेगा जो उपभोक्ता को देय होगा" जिसकी सूचना मौके पर उपस्थित उपभोक्ता के प्रतिनिधि को दी गयी एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर भी सीलिंग प्रमाण पत्र पर दर्ज कराये गये है। (संलग्नक–2) अतः परिवादी का कथन गलत है।
4. बिन्दु सं0 07 एवं 08 के क्रम में विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।
5. बिन्दु सं0 09 के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता पर किसी प्रकार की Panalty नहीं डाली गयी है CT की त्रुटि के कारण उपभोक्ता द्वारा की गयी वास्तविक खपत आंकलन कर उसके अनुसार ही धनराशि का निर्धारण किया गया है।
6. बिन्दु सं0 11 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता के संयोजन की जॉच करने के पश्चात् मीटरिंग में त्रुटि के कारण उपभोक्ता द्वारा की गयी वास्तविक खपत के अनुसार ही रू0 4,51,962.00 का निर्धारण विभागीय नियमानुसार किया गया है तथा चैक मीटर उतारने के समय मौके पर उपस्थित उपभोक्ता के प्रतिनिधि को सूचना दे दी गयी थी एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर भी मीटर सीलिंग पत्र पर दर्ज किये गये हैं।
7. बिन्दु सं0 12 के क्रम में अवगत कराना है कि चैक मीटर स्थापित तथा उतारने के समय मौके पर उपस्थित उपभोक्ता के प्रतिनिधि को सूचना दे दी गयी एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर भी मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र पर दर्ज कराये गये हैं अतः यह कथन बिल्कुल असत्य है तथा स्वीकारयोग्य नहीं है।
8. बिन्दु सं0 13 – बिन्दु सं0 06 के अनुसार।
9. बिन्दु सं0 14 बिन्दु सं0 07 के अनुसार सभी मीटर निर्माता कम्पनी में टेस्टिंग के उपरान्त ही प्राप्त किये जाते है NABL प्रमाण पत्र संलग्न है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

10. बिन्दु सं0 15 – बिन्दु सं0 06 के अनुसार निर्धारित राशि उचित है तथा उपभोक्ता द्वारा देय है।
11. बिन्दु सं0 16 के क्रम में अवगत कराना है कि खण्ड के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की MRI का समय –2 पर विश्लेषण किया जाता है जिसमें विभागीय नियमानुसार ही चैक मीटर स्थापना एवं उतारने की प्रक्रिया के समय मौके पर उपस्थित उपभोक्ता के प्रतिनिधि को सूचना दे दी गयी थी जिसमें उनके हस्ताक्षर भी है, शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत निराधार है किसी भी प्रकार से कोई द्वेषभावना से कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः इनका कथन असत्य है।

मा0 मंच को यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 4771 दिनांक 01.11.2023 में वर्णित बिन्दु सं0 04 में उपभोक्ता के अनुरोध पर पुनः चैक मीटर के निर्धारण की जॉच की गयी जिसमें सहायक अभियन्ता (मी0) द्वारा पुनः तथ्यों की जॉच कर अपने कार्यालय पत्रांक 60/वि0प0शा0 मोहनपुर/ देहरादून दिनांक 01.11.के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व और वर्तमान में की गयी जॉच स्पष्ट रूप से सही है, मीटर सं0 XC442109 की MRI रिर्पोट से प्राप्त Load Survey की छायाप्रति सुलभ संज्ञानार्थ हेतु प्रेषित की जा रही है तथा ईमेल cgrfgz@gmail.com पर प्रेषित किया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि विभागीय अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में जो शिक्षण संस्थान संचलित है उस पर परिसर में तीन विद्युत संयोजन वर्तमान में संयोजित संख्या क्रमशः MPK0K000009329 (100 KW, RTS-2) Doon Business School, C/o Eskay Educational Tru , Selaqui, Dehradun, MP0K000019202 (40 KW, RTS-2) Doon Business School, City Selaqui, D.Dun एवं MP61502302323 (5 KW, RTS-2) Eskay Educational Trus, Selaqui है, (तीनो बिल संलग्नक) समान विद्याा के एक से ज्यादा संयोजन एक ही परिसर में होना माननीय विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार भी अनुचित है साथ ही एक ही परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु तीन अलग–अलग स्रोत किसी भी विद्युत दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एक ही परिसर में संयोजन होने के कारण यह भी सम्भावना है कि उपभोक्ता द्वारा एक संयोजन की आपूर्ति बाधित होने अथवा किन्ही अन्य कारणों से भी, विद्युत आपूर्ति दूसरे संयोजनों से प्राप्त की

गयी है जिस कारण सम्बन्धित संयोजन पर विद्युत खपत का आंकलन पूर्व की खपत के आंकलन के अनुसार मिलान किया जाना उचित नही है, मीटर की MRI रिर्पोट से मीटर द्वारा रिकार्ड की गयी वोल्टेज, करन्ट तथा खपत की गई यूनिट का विवरण प्राप्त किया जाता है उसी के अनुससार उपभोक्ता की बिलिंग की जाती है, तथा MRI की रिर्पोट के आधार पर ही त्रुटि का पता लग गया था।

अतः उपरोक्ता तथ्यों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि CT में त्रुटि के कारण ही करंट कम रिकॉर्ड हुई है तथा खपत यूनिट भी कम रिकार्ड की गई थी एवं तद्नुसार ही निर्धारण प्रेषित किया गया है जो कि उचित है तथा नियमानुसार देय है।

मंच द्वारा उपरोक्त चर्चा का अध्ययन किया गया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी एवं परिवादी के कथनो की गहनता की जॉच की गई जिसमें विपक्षी की ओर से प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 5012 दिनांक 28.11.2023 के बिन्दुओं पर निम्नवत् कमियां पाई गयी।

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेख किया गया कि परिवादी के संयोजन संख्या MP0K000019202 की MRI विशलेषण करने पर B Phase करन्ट शून्य पायी गयी थी जिसके उपरान्त उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया था, चूँकि इस सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर हेतु आवेदन नहीं किया गया था। अतः उक्त चैक मीटर स्थापित किये जाने हेतु उपभोक्ता को पूर्व में सूचना नहीं दी गयी।

विपक्षी के उक्त बिन्दु के संदर्भ में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा उक्त बिन्दु में मान्नीय Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 का उल्लंघन किया गया है।

विपक्षी की उपरोक्त आख्या के बिन्दु संख्या 9में विपक्षी द्वारा उल्लेख किया गया है कि सभी मीटर निर्माता कम्पनी में टेस्टिंग के उपरांत ही प्राप्त किये जातें है NABL प्रमाण पत्र संलगन है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उक्त बिन्दु के संदर्भ में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत NABL प्रमाण पत्र की मंच द्वारा गहनता से जॉच की गई एवं पाया कि NABL द्वारा जो प्रमाण पत्र Secure Meter Limited को जारी किया गया है जिसकी वैधता 20.12.2022 को समाप्त हो चुकी थी, जबकि चैक मीटर के रूप में उक्त मापक दिनांक 10.04.2023 को स्थापित किया गया था। परन्तु Secure Meter Limited द्वारा चैक मीटर के रूप में स्थापित मीटर संख्या XC442108 का वैध मीटर Test Certificate NABL के मानक अनुसार जारी नही किया गया जिसमें मंच उक्त मीटर की शुद्धता पर भरोसा नही कर सकता है क्योकि चैक मीटर के रूप में स्थापित मीटर संख्या XC442108 सीलिंग प्रमाण पत्र अनुसार प्रारंभिक रीडिंग 14480.5 पर स्थापित किया गया था। जिससे स्पष्ट है कि उक्त मापक का पूर्व में भी उपयोग अन्यत्र किया गया है। जिस कारण उक्त मापक का NABL Accredite Lab से जॉच उपरान्त लगाया जाना आवश्यक हो जाता है।

उपरोक्त के उपरान्त मंच का मत है कि माननीय UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम 5.1.3.(1) (5) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन किया गया है।

मंच द्वारा मान्नीय अैम्बड्समैन (विद्युत) 80, वसन्त विहार फेस–1, देहरादून के वाद संख्या 43/2022 एवं वाद संख्या 03/2023 में पारित आदेशों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरणों में भी विपक्षी द्वारा परिवादियों के विद्युत मापको की शुद्धता मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** के विनियमों अनुसार प्रमाणित नहीं की गई है, जिस कारण माननीय अैम्बड्समैन (विद्युत) 80, वसन्त विहार फेस–1, देहरादून द्वारा उक्त निर्धारण को समाप्त कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters)**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 के विनियमों का उल्लंघन करते हुए मापक के 40.21% धीमे अंकन का निर्धारण किया गया। नियम विरूद्ध किए गये उक्त अंकन के आधार पर वादी के बिल में समायोजित रू0 451962.00 के निर्धारण को समाप्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** के विनियमों का उल्लघन करते हुए किया गया विद्युत मापक 40.21% धीमे अंकन के निर्धारण को निरस्त किया जाता है एंव विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को संशोधित विद्युत बिल जारी करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ती के 30 दिनों के अंतर्गत मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

17/02/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17/02/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

17-02-20
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 113/2023

M/s Hillways Hospitality,
Khasra No. 71/43,
Dehradun Road Rishikesh.

परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
ऋषिकेश।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री सईद अहमद
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 19 .02 .2024
न्यायिक सदस्य
तकनीकी सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding slow meter assessment as per AE(M) letter no. 73/ETL /RKSH dated 22.08.2023.

Most respectfully showeth:

1. That the applicant company, M/s Hillways Hospitality, Khasra No. 71/43, Dehradun Road, Rishikesh has been consuming electricity from UPCL through K no. Rk0k0000029041 and meter No. 8056191 since 2018.
2. That the applicant has been paying tariff for the same continuously since installation of the connection without any failure on its part.
3. That on dated 29.07.2023, the Respondent installed a check meter with respect to the said connection to check wheather the meter running slow and the reading of the same was done till 17.08.2023

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

4. That thereafter, the Applicant received a letter titled Slow Meter Assessment as per AE(M) Letter No, 73/ETL/RKSH DT. 22.08.2023 vide which a penalty of Rs. 5,53,878/- (Ruppes Five Lakh, Fifty Three Thousand, Eight Hundred Seventy Eight only) was been imposed on the Applicant for fault from 05.04.2023 to 17.08.2023.
5. That the mandatory provisions of the UERC, Electricity Supply Code,2020 were not followed while the checkl meter was installed and the testing of the check meter was done.
6. That a certified showing that the check meter was NABL accredited was not provided to tl applicant at the time of installing the check meter which is a mandatory procvision of the code.
7. That as per the code, the applicant was not given a 2 days advance notice before the said check meter was installed and the testing was initiated.
8. That further,the signature of the applicant's authorized representative were not obtained on the test report dated 17.08.2023 and it was only after the test report dated 17.08.2023 and it was only after the test report was prepared, signature of an employee were obtained on the carbon copy of the test report and not the original. It is pertinent to mention that the employee whose signature were obtained signatory of the applicant company.Therefore,the Respondent acted in violation of the procedure laid down in the code.
9. That as per the Tariff order of the UPCL for FY 2023-24, all consumers having load above 25 KW in non-domestic category shall necessary have ToD meters and as per the UERC,Electricity supply code,2020, all Tod meters shall be read by meter reading instrument (MRI) only. The applicannt's meter is that of 213 KW, which is way above the 25 KW mark which makes it mandatory for ToD meters to be installed in the Applicant's premises.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

10. That it is clear from the above-mentioned points that the mandatory provisions of law and principles of natural justice were not followed ehile doing the above-mentioned assessment and hence, the Applicant is not liable for any penalty as claimed by the respondent.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधि0अभि ने आख्या पत्रांक 2930, दिनांकित 31/10/2023 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है :–

1. बिन्दु सं0 03 के क्रम में अवगत कराना है कि मै0 सांई Analysis द्वारा MRI का Analysis करने के पश्चात उनके द्वारा Abnormalities की सूचना देने पर दिनांक 03.07.2023 को उपखण्ड अधिकारी शैल विहार एवं सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षणशाला शैल विहार ऋषिकेश द्वारा उपभोक्ता परिसर पर स्थापित मीटर यूनिट की चैकिंग की गयी जिसमें पाया गया कि मीटर में R Phas की voltage 1.87 KV प्रदर्शित हो रही है जो कि मानकों से भी कम थी, जबकि Y Phase में कमशः 5.29 Kv एवं 5.35 Kv प्रदर्शित हो रही है। जिस कारण उपभोक्ता के मीटर द्वारा वास्तविक खपत के सापेक्ष कम ऊर्जा खपत को रिकार्ड किया गया एवं इस सम्बन्ध में उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र कुमार को चैकिंग की प्रति उपलब्ध करवाई गई एवं जिसके फलस्वरूप दिनांक 29.074.2023 को चैक मीटर सं0 X0780402 स्थापित किया गया (संलग्न चैकिंग रिर्पोट की प्रति)।
2. बिन्दु सं0 05 एवं 06 के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 29.07.2023 को परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया उसी समय चैक मीटर सं0 X0780402 Secure Make की NABL Testing Report एवं Certificate उपभोक्ता के प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाई गयी जिसमें Sealing Ceritificate सं0 57/16 दिनांक 29.07.2023 के द्वारा उपभोक्ता के प्रतिनिधि को रिसीव करवाई गयी (सीलिंग सीलिंग संलग्न)।
3. बिन्दु सं0 07 के क्रम में अवगत कराना है कि विद्युत वितरण खण्ड ऋषिकेश के पत्रांक 240 दिनांक 26.07.2023 द्वारा उपभोक्ता को नोटिस भेजा गया है जिसमें दिनांक 29.07.2023 को चैक मीटर स्थापना हेतु सूचित किया गया था एवं प्रतिनिधि द्वारा मुहर सहित पावती की गयी (संलग्न नोटिस रिसीव की प्रति संलग्न)।
4. बिन्दु सं0 04 के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 17.08.2023 को सहायक अभियन्ता (मापक) द्वारा चैक मीटर की फाईनल टेस्ट रिर्पोट तैयार कर सीलिंग सार्टिफिकेट नं0 57/21 द्वारा उपभोक्ता प्रतिनिधि को मूल प्रति हस्ताक्षर करवाकर प्रति उपलब्ध करायी गयी (संलग्न चैक मीटर फाईनल टेस्ट रिर्पोट 57/21 की प्रति)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

5. बिन्दु सं0 09 व 10 के क्रम में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को बिलिंग प्रत्येक माह मीटर MRI के आधार पर की जाती है प्रत्येक माह MRI से बिल बनाये जाते है एवं Analysis के पश्चात् किसी प्रकार की Abnormalities पाये जाने पर ही चैक मीटर स्थापित किया जाता है (MRI संलग्न)।

अतः सहायक अभियन्ता के Sealing Certificate no. 57/21 दिनांक 17.08.2023 को चैक मीटर Test Report फाइनल की गयी जिसमें मेन मीटर एवं चैक मीटर की खपत की तुलना कर उन दोनों की खपत के अन्तर के आधार पर ही मेन मीटर 34.59% Slow पाया गया। उपभोक्ता के मीटर क्यूबिकल की Potential Potential Transform से आने वाली Wiring के R Phase में कार्बन जमा होने के करण मीटर को R phase की Voltage कम प्राप्त हुई है। क्योंकि उपभोक्ता के मीटर क्यूबिकल के नीचे सीवर नाली गुजर रही है साथ ही Water Purification Plant भी नजदीक स्थापित है जिस कारण नमी से यह समस्या उत्पन्न हुई एवं पूर्व में भी हो चुकी है उपभोक्ता को उक्त के संदर्भ में प्रत्सेक रीडिंग लेते समय कहा जाता है कि पैनल रूम आप सीवर लाईन से दूर बनवाइयें परन्तु उपभोक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी।

अतः मीटर क्यूबिकल की Potential Transform की R Phase की Wiring तार का कार्बन साफ कर समस्या का समाधान कर पुनः मीटरिंग सुचारू की गयी एवं R Phase की सही Voltage 6.5 KV प्राप्त हुई एवं अवधि 05.04.2023 से 17.08.2023 तक रू0 553878.00 का अतिरिक्त राजस्व निर्धारण किया गया है जो कि पैनल्टी नही है बल्कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा का बिल मीटर है जो मीटरिंग सम्बन्धित त्रुटि के कारण छूट गया था (संलग्न उपभोक्ताको प्रेषित निर्धारण की प्रति)।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों की मंच द्वारा गहनता से जॉच की गई एवं विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायती पत्र के क्रम में प्रस्तुत आख्या पत्रांक 2930 दिनांकित 31.10.2023 का अवलोकन किया गया एवं निम्न तथ्य सामने आयेः–

विपक्षी द्वारा अपनी उपरोक्त आख्या के बिन्दु संख्या 01 व 02 उल्लेख किया गया है कि दिनांक 29.07.2023 को

परिवादी के परिसर पर चैक मीटर मीटर स्थापित किया गया उसी समय चैक मीटर सं0 X0780402 Secure Make की NABL Testing Report एवं Certificate उपभोक्ता के प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाई गयी जिसमें Sealing Certificate सं0 57/16 दिनांक 29.07.2023 के द्वारा उपभोक्ता के प्रतिनिधि को रिसीव करवाई गयी। उक्त बिन्दु के संदर्भ में मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध National Accredition Board for Testiong or Calibration Laboratries के Certificate of Accreditation का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि NABL द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के जारी करने की तिथि 30.06.2018 से वैधता की तिथि 29.06.2020 थी जबकि परिवादी के परिसर पर उक्त मीटर चैक मीटर के रूप में 29.07.2023 को प्रारंभिक रीडिंग 538768 पर स्थापित किया गया था, जिससे दो बाते स्पष्ट हैं जिस तिथि को चैक मापक स्थापित किया गया था उस तिथि से लगभग 3 वर्ष पूर्व ही विपक्षी द्वारा प्रस्तुत NABL प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई थी। जिस कारण उक्त प्रमाण पत्र शून्य है एवं चैक मीटर के रूप में स्थापित मीटर सीलिंग प्रमाण सं0 57/16 दिनांक 29.07.2023 के अनुसार प्रारंभिक रीडिंग 538768 पर स्थापित किया गया था, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मीटर पूर्व में भी उपयोग में लाया गया है, जिसे बिना NABL Accreditation Lab की जॉच रिर्पोट अनुसार सही नहीं माना जा सकता है।

अतः उक्त के संदर्भ में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त के कम में **मान्नीय Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 का उल्लंधन किया गया है।**

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के बिन्दु सं0 04 में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 17.08.2023 को सहायक अभियन्ता (मापक) द्वारा चैक मीटर की फाईनल टेस्ट रिर्पोट तैयार कर सीलिंग सर्टिफिकेट नं0 57/21 द्वारा उपभोक्ता प्रतिनिधि को मूल प्रति हस्ताक्षर करवाकर उपलब्ध करवाकर प्रति उपलब्ध कराई गयी।

उक्त बिन्दु के क्रम में मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सीलिंग प्रमाण पत्र सं0 57/21 की कार्बन कॉपी की मूल प्रति का अवलोकन किया गया एवं पाया कि कार्बन कॉपी की मूल प्रति पर कार्बन कॉपी के रूप में केवल अधिशासी अभियन्ता /सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड में से केवल एक हस्ताक्षर है, शेष

सभी तीन हस्ताक्षर कार्बन कॉपी में वास्तविक हस्ताक्षर हैं जो संदेह पैदा करता है कि चैक मीटर फाईनल किये जाते समय नियामानुसार सीलिंग प्रमाण पत्र परिवादी को उपलब्ध करवाया गया अथवा नहीं।

उक्त के संदर्भ में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा **मान्नीय Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 (11) का उल्लंधन किया गया है।**

मंच द्वारा पत्रावली पर स्थापित चैक मीटर सं0 X0780402 के Secure Company द्वारा जारी Meter Test Certificate का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त मापक दिनांक 05.10.2018 को जॉचा गया था, जबकि चैक मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र में अंकित प्रारंभिक रीडिंग 538758 यूनिट से स्पष्ट है कि उक्त मापक NABL Certificate जारी होने के बाद अन्यत्र कही उपयोग में लाया गया है। उक्त विवादित मामले में विपक्षी द्वारा जब यह मीटर चैक मीटर के रूप में स्थापित किया तो उस समय विपक्षी द्वारा उक्त मापक की कोई वैध NABL Certificate प्रस्तुत नही किया गया जो कि **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** विनियमों का सीधा उल्लंघन है।

मंच द्वारा माननीय अैम्बड्समैन (विद्युत) 80, वसन्त विहार फेस–1, देहरादून के वाद संख्या 43/2022 एवं वाद संख्या 03/2023 में पारित आदेशों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरणों में भी विपक्षी द्वारा परिवादियों के विद्युत मापको को मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** के विनियमों अनुसार प्रमाणित नही किया गया है, जिस कारण मान्नीय अैम्बड्समैन (विद्युत) 80, वसन्त विहार फेस–1, देहरादून द्वारा उक्त निर्धारणों को समाप्त कर दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** के विनियमों का उल्लंघन करते हुए मापक के 34.59% धीमे अंकन का निर्धारण किया गया। नियम विरूद्ध किए गये उक्त अंकन के आधार पर वादी के बिल में समायोजित रू0 553878.00 के निर्धारण को समाप्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** के विनियमों का उल्लघन करते हुए किया गया विद्युत मापक 34.59% धीमे अंकन के निर्धारण को निरस्त किया जाता है एंव विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को संशोधित विद्युत बिल जारी करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ती के 30 दिनों के अंतर्गत मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19.02.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 115/2023

श्रीमती हिमानी बिष्ट,
पुत्री श्री सुरेन्द्र बिष्ट,
पता–राजोवाली, होरावाला, विकासनगर,
देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड ,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर। विपक्षी

कोरम
दिनांक : 27.02.2024
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद श्रीमती हिमानी बिष्ट, पुत्री श्री सुरेन्द्र बिष्ट, निवासी– राजोवाली, होरावाला, विकासनगर, देहरादून ने अस्थाई संयोजन के विच्छेदन के पश्चात् जमानत धनराशि वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में योजित किया है।

परिवादी के कथनानुसार उनके परिसर पर भवन निर्माण हेतु अस्थायी संयोजन निर्गत किया गया था, क्योकि तब उनका भवन निर्माणधीन था इसके पश्चात् भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उनके द्वारा अस्थाई संयोजन के सापेक्ष जमा की गई सिक्योरिटी राशि वापस लेने के लिए पूर्ण कार्यवाही दिनांक 11.05.2023 को कर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दी गई थी। चार माह बीत जाने के बाद भी उन्हें सिक्योरिटी के रूप में जमा धनराशि वापिस नहीं की गई है। अतः मंच से निवदेन है कि सिक्योरिटी राशि वापिस दिलाने की कृपा करे।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी की आख्या पत्रांक संख्या 3327दिनाकित 04/11/2023 के माध्यम से अवगत कराया कि उपभोक्ता की जमा जमानत धनराशि की वापसी हेतु निधि मॉग पत्र मुख्यालय को भेज दिया गया है। निधि निर्गत होते पर उपभोक्ता को जमानत धनराशि वापस की दी जायेगी।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त अस्थाई संयोजन निर्माण कार्य पूर्ण होने के कारण स्थाई रूप से विच्छेदित किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification September 22, 2022 UERC (Standards of Performance) Regulations 2022 SCHEDULE-III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default) 7 Issues relating to disconnection /reconnection of supply Sl.No (3)*** के विनियम् एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिससे परिवादी के मामले में नियमों का बल है और उनके द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिउत्तर भी उनके मामले का समर्थन करता है। अतः इन परिस्थितियों में परिवादी की पूर्व में विच्छेदित अस्थाई संयोजन की जमानत धनराशि का भुगतान रोका जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं होगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में परिवाद पंजीकृत कराया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली में उपलब्ध Consumer Hsistory का अवलोकन किया एवं पाया कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 01.09.2022 से दिनांक 01.05.2023 अर्थात् 07 बिलिंग चक्रों में NR/NA के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिनका की परिवादी द्वारा भुगतान भी किया गया, परन्तु एका–एक बिल चक्र 05/2023 में विपक्षी द्वारा परिवादी को जो विद्युत बिल भेजा गया उसकी विद्युत खपत यूनिट के स्थान पर 10889 यूनिट दर्शायी गयी थी, जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि इतनी अधिक विद्युत यूनिटों की खपत न तो पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के उपरान्त ।

मंच द्वारा परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी को आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती इन्दु मोहन, 46 ई0 सेवक आश्रम रोड़, देहरादून का संयोजन सं0 7071441006232 घरेलू विधा में 5 किलोवाट का संयोजित है। उपभोक्ता का मीटर दिनांक 12.04.2021 को बदले जाने के पश्चात माह 11/2021 तक बीजक Mu आधार पर व माह 03/2022, 05/2022, 06/2022 के बीजक NR पर तथा माह 07/2022 का बीजक MU आधार पर निर्गत हुआ। तत्पष्चात माह 08/2022 से 04/2023 तक NA/NR के बीजक निर्गत हुए। माह 05/2023 से वर्तमान तक बीजक रीडिंग आधार पर निर्गत हो रहे है। माह 03/2023 का बीजक NR आधार पर कुल बीजक रू0 2596.00 दिनांक 21.03.2023 का भुगतान किया गया था। तत्पश्चात बीजक की कोई धनराशि उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं की गयी है। वर्तमान में मीटर की MRI से करने

पर दिनांक 04.11.2023 को रीडिंग 17840 KWH/20059 KVAH पर विद्युत बीजक रू0 108577.00 अवशेष है। MRI से स्पष्ट होता है कि मीटर सही कार्य कर रहा है। इस प्रकार विद्युत बीजक सही प्रतीत होता है।

उपरोक्त के संदर्भ में मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1(7)** का अवलोकन किया एवं पाया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम का उल्लंघन कर परिवादी को विद्युत बिल प्रेषित किये गये है।

विपक्षी द्वार प्रस्तुत MRI रिर्पोट से भी स्पष्ट है कि मीटर सही प्रकार से कार्य कर रहा था, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्रेषित न कर **Na/NR** के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिसके संबंध में परिवादी द्वारा बार–बार लिखित एवं मौखिक शिकायतों के माध्यम से विपक्षी को अवगत कराया गया परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी के कथन अनुसार उनकी शिकययत नहीं सुनी गई जिस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई ।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त वर्णित रेगुलेशन का उल्लंघन कर प्रेषित बिल अवधि दिनांक 29.07.2022 से दिनांक 01.05.2023 के बिलों को निरस्त कर उक्त अवधि की बिलिंग मान्नीय UERC के उपरोक्त वर्णित रेगुलेशन में निहित विनियम के अनुसार किया जाना तर्कसंगत एवं न्ययोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (7)** के विनियम का उल्लंघन करते हुए परिवादी को प्रेषित बिल अवधि दिनांक 29.07.2022 से दिनांक 01.05.2023 के बिलों को निरस्त करें एवं उक्त अवधि की बिलिंग मान्नीय UERC के उपरोक्त वर्णित रेगुलेशन के अनुसार करना सुनिश्चित करें, इस प्रकार संशोधित बिलों पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। जहॉ तक विपक्षी के राजस्व हानि की बात है, विपक्षी दोषी कर्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंभ बदलना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में मीटर की तकनीकी खराबी के कारण किसी प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/02/2024 (दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/02/24 (सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

27.02.24 (त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 174/2023

Shri. Anuraj Aggarwal **V/s** **Executive Engineer, EDD (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 29.02.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 29.02.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हें दिनांक 15/02/2024 को रू0 13852/– का जो बिल प्राप्त हुआ वह एम0यू0 के आधार पर प्रेषित किया गया है, जबकि इससे पूर्व के दो बिल चक्रों में आर0डी0एफ0 के आधार पर प्रेषित किये गये है। वर्तमान में एम0यू0 के आधार पर प्राप्त विद्युत बिल अत्याधिक राशि का प्रतीत हुआ है, अतः मंच से निवेदन है कि उक्त बिल को संशोधित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा आख्या पत्रांक संख्या 95 सुनवाई दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के आर0डी0एफ0 बिल मूल्य का विद्युत बीजक देय रू0 6058.50 घटा दिये गए है एवं रू0 7793.50 मूल्य का विद्युत बीजक देय है।

अतः इस परिस्थित में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/02/2024 29/02/24 29.02.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 116/2023

श्री नवीन गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता — परिवादी
दून मेडिकल स्टोर, मेन मार्केट
विकासनगर, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 29/02/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल को संशोधित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि मीटर संख्या VNT31220330२0 नवीन गुप्ता के नाम से है। मार्च 2023 से विद्युत बिल 80903.00 आया जिसकी शिकायत उपखण्ड अधिकारी विकासनगर को दिनांक 29.03.23 को की गई जिसके उपरांत दिनांक 03.04.2023 को चैक मीटर लगाया गया। एक सप्ताह के लिए उसमें रडिंग सही आयी, मीटर रीडर द्वारा चैक किया गया तथा पाया गया कि विद्युत मीटर Jump हो गया है। हमने मीटर की हेतु MRI करने हेतु बोला गया, परन्तु उनके द्वारा दिनांक 26.05.2023 को इस मीटर की MRI नहीं होगी।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण-मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 22.08.2023 को online complain दर्ज की जिसकी रसीद 2359/– जो कि संलग्न है। उसके बाद हमारा कनेक्शन भी काट दिया गया। माह जुलाई का बिल 106069/– दिया गया ।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहा0अभि0 (रा0) ने आख्या पत्रांक 3333, दिनांकित 04.11.2023 से मंच कों निम्नवत् अवगत कराया है :–

1. परिवादी का संयोजन सं0 VN73122033020, 05 कि0वा0 घरेलू श्रेणी में स्वीकृत है।
2. परिवादी द्वारा दिनांक 05.04.2023 को चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन किया गया। इसके क्रम में दिनांक 19.04.2023 को उपभोक्ता के परिसर पर 4314 Kwh रीडिंग पर चैक मीटर सं0 8800147 स्थापित किया गया। उक्त दिनांक को बिल मीटर सं0 2281893 में कुल रीडिंग 68525 Kwh थी।
3. दिनांक 18.05.2023 को उपभोक्ता के परिसर से चैक मीटर को उतार लिया गया, जिसमें कुल रीडिंग 4634 Kwh रीडिंग तथा बिल मीटर में कुल 68847 kwh का उपभोग पाया गया। चैक मीटर में कुल उपभोग हुई यूनिट 320 तथा बिल मीटर में 322 पायी गयी।
4. चैक मीटर तथा बिल मीटर की उपभोग की गयी यूनिट में कोई विशेष अन्तर ना होने कारण चैक मीटर को परिसर से उतार लिया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा दिनांक 05.04.2023 को चैक मीटर हेतु आवेदन किया गया जिसके कम में विपक्षी द्वारा दिनांक 19.04.2023 को चैक मीटर सं0 8800147 परिवादी के परिसर पर स्थापित किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 18.05. 2023 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 15/233 के द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराना मापक संख्या

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरमाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2281893 के क्रम में कुल रीडिंग 4634 Kwh रीडिंग दर्शायी गयी, बिल मीटर में 68847 Kwh का उपभोग पाया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार उनके वास्तविक खपत के आधार पर प्रत्येक माह विद्युत प्रेषित किये जाते थे, परन्तु एकाएक बिल चक्र 03/2023 में 11075 यूनिट जो कि रू0 80903/– का बिल बनाया गया, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विवादित बिल 03/2023, 27.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 अर्थात् 30 दिनों में 5 किलोवाट स्वीकृत भार पर 369.16 प्रतिदिन की खपत दर्शायी गयी है। यदि उक्त अवधि की अधिकत खपत भी LDHF सूत्र के अनुसार मापी जाये तो 480 यूनिट प्रतिमाह होती है। अतः विपक्षी द्वारा 5 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 369.16 यूनिट प्रतिदिन की असामान्य दर्शायी गई खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार भी विपक्षी द्वारा प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिये जाते रहें है, परन्तु परिवादी को 03/2023 के बिल चक्र में विपक्षी द्वारा 11075 यूनिट का बिल भेजा गया है। जिस पर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनकी इतनी अधिक विद्युत खपत पूर्व में कभी भी नहीं रही है। विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित बीजक बिल दिनांक 28.03.2023 को निरस्त कर उक्त बिल चक्र की बिलिंग पूर्व की तीन बिल चक्रों 02/2023, 01/2023 एवं 12/2022 क्रमशः (427 + 1371 +229 /3 = 675.66) अर्थात् 676 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 28.03.2023 का बीजक निरस्त कर उक्त बिल पूर्व की तीन बिल चक्रों 02/2023, 01/2023 एवं 12/2022 क्रमशः (427 + 1371 +229 /3 = 675.66) अर्थात् 676 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मापक की तकनीकी खराबी के कारण पुनः इस प्रकार का शिकायत उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

29/02/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/02/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

29.02.2
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 118/2023

महेश कुमार कक्कड,
वार्ड नं0 8 हाऊस नं0 4/20
उपासना टाकीज के पीछे,विकासनगर

परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री सईद अहमद
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 26.02.2024
न्यायिक सदस्य
तकनीकी सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत मीटर के जम्प होने के कारण प्रेषित अत्याधिक खपत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित कराया है।

परिवादी के कथनानुसार उनके संयोजन संख्या VN73124011171 के संदर्भ में निवेदन है कि मेरा बिजली का मीटर माह जून 2023 से Jump हो गया था जिसमें उसकी रीडिंग 606, 3861, 552 क्रमशः जून, जुलाई, अगस्त 2023 में आयी जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा जून में की गयी। जॉच के लिए विभाग ने जॉच मीटर लगाया गया जिससे की 1637.1 की मीटर रीडिंग तेज पायी गयी और जॉच में मीटर रीडिंग 225 की पायी गयी।

विभाग के द्वारा जुलाई माह की रीडिंग जो कि 3861 आयी उसमें बिल की राशि को संशोधित कर बिल की राशि को 6000/– (Approx.) निकाली गयी और उसका आधार अप्रैल, मई, जून 2023 को पिछले तीन महीने की रीडिंग को

औसत मानते हुए गणना की गयी, जून माह की रीडिंग 606 है जो कि Jump वाली रीडिंग है। मान्नीय महोदय से निवेदन है कि मेरे मीटर की रीडिंग मार्च, अप्रैल एवं मई 2023 जो कि क्रमशः 177,204 एवं 255 को औसत के लिए आधार माना जाए जॉच मीटर में भी रीडिंग 225 आयी है।

मान्नीय महोदय मैं 65 वर्ष का सीनियर सिटीजन हूँ और Cancer जैसी घातक बीमारी से पीडित हूँ। मेरी पत्नी जो कि 64 वर्ष है Lever Patient है। अतः आपसे विन्नम निवेदन है कि हमारी मजबूरी को समझते हुए सकारात्मक सहयोग प्रदान करें और बिल की राशि में संशोधन कर दे आपकी अति कृपा होगी।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहा0अभि0(रा0) ने आख्या पत्रांक 3331, दिनांकित 04/11/2023 से मंच को अवगत कराया है कि श्री महेश कुमार कक्कड़ वार्ड नं0. 08, मकान सं0 4/20 सिनेमा गली, उपासना टॉकीज, विकासनगर, जिला– देहरादून संयोजन सं0 VN73124011171 द्वारा मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष परिवाद सं0 118/2023 के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी गयी है जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को उपखण्ड कार्यालय द्वारा बीजक रू0 35945.00 से संशोधित कर रू0 6061.00 कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खपत से अधिक की विद्युत का अंकन कर रहा है, जिसके स्पष्टीकरण हेतु परिवादी द्वारा अपने विद्युत मीटर की शुद्धता जॉच हेतु चैक मीटर के लिए आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा चैक मीटर स्थापित कर दिनांक 26.08.2023 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 15/148 के द्वारा फाईनल किया गया एवं पाया गया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराना मापक संख्या 354993 चैक मीटर संख्या 8800147 के सापेक्ष 1637% अधिक विद्युत की खपत दर्ज कर रहा है।

उपरोक्त के संदर्भ में मंच द्वारा विपक्षी की आख्या के साथ संलग्न Bill of Consumer का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिलों को मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Metering & Billing 5.1.3 (10) (a) के अनुसार संशोधित किया जाना मंच के मत में तर्कसंगत एवं न्ययोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 23.05.2023 से दिनांक 22.09.2023 तक के विद्युत बिलों को चैक मीटर फाईनल रिर्पोट के परिणाम अनुसार मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 (10) (a)** के नियमानुसार संशोधित करें एवं चैक मीटर स्थापित किये जाने के उपरांत उक्त मापक की वास्तुविक खपत के आधार पर परिवादी के विद्युत बिलों को संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बिलों पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा।

उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

26/02/2024 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

26/02/24 — (सईद अहमद) तकनीकी सदस्य

26.02.2024 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 123/2023

श्रीमती इन्दु मोहन
46 ई, सेवक आश्रम रोड़
वैश नर्सिंग होम हॉस्पिटल,
डी0एल0 रोड, देहरादून।

परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 27.02 .2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complaint submits and praysas under:-

This letter is to bring to your knowledge that Indu Mohan a resident at 46 E Sevak Ashram road has been facing a lot of problem due to the unexpected electricity bill amounts from the past ne year as my xonsumption is very limited then too every month. I get a huge amount of bill. The reading person also not coming every month despite of the fact that I have a power connection

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

and he comes in 5-6 months sometimes. I have already spoken and gave a complaint letter to the SDO, Sahastradhara division but have not any positive out come.

My connection no is 7011441006232 and is a 3 phase 5 KW meter. I request the forum to look into the matter and came up with a positive decision . I got the line a positive decision . I got the line also checked thrice with long meter through the department person , the meter has a fail it, i seems so.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 285 दिनांकित 08/11/2023 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 123/2023 श्रीमती इन्दु मोहन, 46 ई0 सेवक आश्रम रोड़, देहरादून का संयोजन सं0 7071441006232 घरेलू विधा में 5 किलोवाट का संयोजित है। उपभोक्ता का मीटर दिनांक 12.04.2021 को बदले जाने के पश्चात माह 11/2021 तक बीजक Mu आधार पर व माह 03/2022, 05/2022, 06/2022 के बीजक NR पर तथा माह 07/2022 का बीजक MU आधार पर निर्गत हुआ। तत्पष्चात माह 08/2022 से 04/2023 तक NA/NR के बीजक निर्गत हुए। माह 05/2023 से वर्तमान तक बीजक रीडिंग आधार पर निर्गत हो रहे है। माह 03/2023 का बीजक NR आधार पर कुल बीजक रू0 2596.00 दिनांक 21.03.2023 का भुगतान किया गया था। तत्पश्चात बीजक की कोई धनराशि उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं की गयी है। वर्तमान में मीटर की MRI से करने पर दिनांक 04.11.2023 को रीडिंग 17840 KWH/20059 KVAH पर विद्युत बीजक रू0 108577.00 अवशेष है। MRI से स्पष्ट होता है कि मीटर सही कार्य कर रहा है। इस प्रकार विद्युत बीजक सही प्रतीत होता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रा0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

आदेश

प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के पूर्व में विच्छेदित अस्थायी संयोजन के विरूद्ध जमा जमानत धनराशि पर माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification September 22, 2022 UERC (Standards of Performance) Regulations 2022 SCHEDULE-III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default) 7 Issues relating to disconnection /reconnection of supply Sl.No (3)*** के विनियम् एवं कारपोरेशन नियमों के अनुसार जमानत धनराशि का भुगतान ब्याज सहित अविलम्ब किया जाए। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/02/2024	27/02/24	27.02.24
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 129/2023

श्रीमती नेहा रानी पत्नी डॉ0 मोहित निरवान
C-309 अंनशल धाम अपार्टमेंट,हरिपुर कॅला
ऋषिकेश। परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
ऋषिकेश। विपक्षी

कोरम
दिनांक:29/02/ .2024

श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding excess billng. The Complaint submits and prayer is made below:-

I am facing excessive bill amounts in the current bill cycle. I have submitted complaints regarding it previously. I got my 1RK (C 309 has 1 washing machine, 1 ceiling fan, 3 lights, 1 TV and 1 fridge) wiring checked by an electrician and found no fault in my home wiring after getting iy checked with an electrician. Check meters were installed (the old meter 2K40316906) and they replaced it with a new meter (10230772) on 28-08-2023. The new meter also displayed a consumption of 1475 KWH on 14-09-2023 in just 15 days, i.e. the meter jumped in the said period.

However, the meter was okay after the second time meter check. The meter jumped in that period (22/08 to 14/09/2023 almost 1500 units in 15 days) for reason unknown to me , which is beyond my authority or responsibility and still my bill is not being compensated.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1317, दिनांकित 16/12/2023 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 129/2023 श्रीमती नेहा रानी,पत्नी डा0 मोहित निरवान,नि0 अंनशल धाम अपार्टमेंट, हरिपुर कॅला, देहरादून, बनाम उपाकालि0 वाद के संदर्भ में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन RK22123024924 का माह 08/2023 में विद्युत बिल मीटर रीडिंग 9689 KWh से 11053 KWh तक कुल billed Unit-1364 Kwh का TDS Management Consultant Pvt. Ltd. के द्वारा कुल धनराशि 11006.00 का निर्गत किया गया जो मीटर रीडिंग अनुसार सही है।

सहायक अभियन्ता (मी0) विद्युत परीक्षण शाला ऋषिकेश की चैक मीटर रिर्पोट अनुसार दिनांक 09.08.2023 को उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर D16906 पर चैक मीटर स्थापित किया गया एवं पाया गया चैक मीटर के सापेक्ष परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक जिसमें उपभोक्ता का मीटर 1121% चलता पाया गया है। दिनांक 28.08.2023 को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या D16906 को बदलकर मीटर संख्या 10230772 स्थापित कर दिया गया। विद्युत मीटर बदल जाने के उपरांत माह 11/2023 में उपभोक्ता का बिल 1771 KWh तक कुल billed Unit-1065KWh का RDF बिल Management Consultant Pvt. Ltd के द्वारा कुल धनराशि 17285.00 का निर्गत किया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 16.11.2023 को उपभोक्ता के RDF बिल को इस कार्यालय द्वारा वर्तमान रीडिंग 1771 KWh कुल billed Unit-3194 online old bill revision कर कुल धनराशि 22490.00 का निर्गत किया गया है। दिनांक 25.11.2023 को उपभोक्ता के विद्युत मीटर रीडिंग 1802 KWh है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में परिवाद पंजीकृत कराया गया है। परिवादी द्वारा अपने विद्युत मीटर की शुद्धता जॉच हेतु चैक मीटर के लिए आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा दिनांक 21.07.2023 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 006/265 के द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराना मापक संख्या 2K40316906 पर चैक मीटर स्थापित किया गया एवं पाया चैक मीटर के सापेक्ष परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक 1121% चलता पाया गया हैं।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि चैक मीटर के रूप में स्थापित मापक द्वारा दिनांक 07.10.2023 से दिनांक 31.10.2023 तक कुल 71 यूनिटों का उपभोग दर्ज किया गया जिसके सापेक्ष पुराने मीटर द्वारा उक्त तिथि में 867 यूनिटों का उपभोग दर्ज किया। चैक मीटर फाइनल किये जाने के उपरांत विपक्षी द्वारा पुराने मीटर के स्थान पर चैक मीटर को ही मेन मीटर स्थापित किया, परन्तु उक्त मीटर द्वारा बिल चक्र 11/2023 में 1700 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विवादित बिल चक्र 11/2023 से पूर्व न तो परिवादी की कभी अधिक खपत रही है न ही उक्त बिल चक्र के बाद सीलिंग प्रमाण पत्रों से स्पष्ट है कि नये

विद्युत मापक द्वारा दिनांक 07.10.2023 से दिनांक 31.10.2023 तक मात्र 24 दिनों में 02 किलोवाट स्वीकृत भार पर 1700 यूनिटों की खपत दर्ज की गई है 70.83 यूनिट प्रति की खपत है। उक्त अवधि की LDHF सूत्र के तकनीकी अनुसार भी परिवादी की खपत 192 यूनिट प्रति माह होती है।

अतः विपक्षी द्वारा 02 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 70.83 यूनिट प्रतिदिन की खपत को मंच बिना किसी मजबूत तकनीकी आधार के अभाव में स्वीकार नहीं कर सकता है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक 17.07.2023 से वर्तमान मीटर संख्या 10230772 को बदले जाने तक की तिथि के बिलों को पूर्व की तीन बिल चक्रों 07/2023, 06/2023, एवं 04/2023 क्रमशः (232 +178+ 134 / 3= 181.33) अर्थात् 182 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य हैं।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 17.07.2023 से वर्तमान मीटर संख्या 10230772 को बदले जाने तक की तिथि के बिलों को पूर्व की तीन बिल चक्रों 07/2023, 06/2023, एवं 04/2023 क्रमशः (232 +178+ 134 / 3= 181.33) अर्थात् 182 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित वर्तमान विद्युत मापक को अविलंब बदली कराया जाना सुनिश्चित करें

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

ताकि भविष्य में पुनः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/02/2024	29/02/24	29.02.2024
(दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य	(सईद अहमद) तकनीकी सदस्य	(त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 133/2023

विकास बत्रा — परिवादी
म0नं0–23, ब्लाक B, ऋषिविहार
देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक:28/02/.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill. The complaint given a written complaint on 24.08.2023 to electricity department in Vasant Vihar office for suspicious/Abnormal meter reading and made payment for installation of check meter. But after multiple follow-ups didn't get any satisfactory response, after 3 months of continuous follow-ups and visit in electricity department for solution of complaint. This connection is belongs to Arti Kaparwal H.No. 23, Block B, Rishi Vihar, Dehradun. The Complaint submits and prayer is made below:-

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. House (H.no 23 Block B rishi Vihar) seized by PNB Housing Finance Limited on 10.03.2023, due to old loan dues pending (Date mentioned in Possession letter attached).
2. House Possession given to me on 21.07.2023 (date mentioned in possession letter attached).
3. Connection was already suspended by department, at the time of possession no electricity connection with zero usage bill old dues of Rs. 6823/- payment made on 28.07.2023 and request raised for restoration of connection at department . (Zero Usage Bill Attached)
4. Electricity connection restored dated 29.07.2023
5. Old reading was (June month 13620 units) of suspended connection at time of ZERO usage bill received on June 2023.
6. New reading (Aug month 19281 units) after connection restored on 29th july (bill attached) bill generated in Aug 2023.
7. Units consumed 5991 without usage of electricity as house was locked and no one is residing in this house.
8. Check meter installed on 01.09.2023.
9. Old meter de-installed on 09.10.2023
10. MRI report shared by JE to Electricity Department on 02.11.2023

उपरोक्त के संन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1034, दिनांकित 14/12/2023 से मंच को अवगत कराया है कि इस कार्यालय के पत्र सं0 549/वि.वि.उ.ख. वसंत विहार दि011.09.2023 से सहायक अभियन्ता(मीटर), नगरीय विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड, देहरादून को उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 करवा कर रिर्पोट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके संदर्भ में सहायक अभियन्ता (मीटर), नगरीय विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई0सी0रोड, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 266/न.वि.शा.(द) दे0दून दि0 02.11.2023 से उपभोक्ता के मीटर सं0 047337 की एम0आर0आई0 करवाकर रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति मा0 मंच के सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 रिर्पोट में दि0 01.03.23 से दि0 01.04.23 के मध्य 5189.3 यूनिट की खपत रिकार्ड की गई है। चूँकि प्रथम सप्ताह में संयोजन पर एरियर होने के कारण संयोजन विच्छेदित कर दिया गया था, अतः दि0 20.04.2023 व 15.06.2023 को मीटर में विद्युत नहीं होने से मीटर रीडर द्वारा 0 यूनिट का बिल बनाया गय। उपभोक्ता द्वारा दि0 28.07.2023 को बिल की धनराशि जमा किये जाने पर संयोजन जोडा गया। अगस्त में मीटर रीडर द्वारा ज्यादा मीटर रीडिंग पाई गई, जिनका बिल बनाया गया। अतः उपभोक्ता के मीटर में खपत रिकार्ड हुई है। उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर लगाये जाने पर मीटर का तेज चलना नहीं पाया गया। उपभोक्ता के पूर्व किरायेदार द्वारा खपत किये जाने अथवा घर खाली किये जाते समय वायरिंग डिस्टर्व होने से लीकेज होना सम्भव है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खपत से अधिक

की विद्युत का अंकन कर रहा है, जिसके स्पष्टीकरण हेतु परिवादी द्वारा अपने विद्युत मीटर की शुद्धता जॉच हेतु चैक मीटर के लिए आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा दिनांक 01.09.2023 को चैक मीटर स्थापित कर सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 32/1733 के द्वारा परिवादी के परिसर पर चैक मापक संख्या 10337/113 स्थापित किया गया, उपरोक्त के क्रम में दिनांक 09.10.2023 को सीलिंग प्रमाण पत्र 44/1138 के द्वारा चैक मीटर फाइनल किया गया, जिसमें मेन मीटर एवं चैक मीटर की खपत की तुलना की गई एवं पाया गया कि चैक मीटर की तुलना में मेन मीटर अधिक विद्युत की खपत दर्ज कर रहा है।

उपरोक्त के संदर्भ में मंच द्वारा विपक्षी की आख्या का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विवादित खपत 5991 यूनिट की खपत को पूर्ण रूप से तथ्य सहित मंच के सम्मुख साबित नहीं कर पायें। मंच द्वारा विपक्षी की आख्या का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विवादित बिल चक्र में विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 01.04.2023 अर्थात् 31 दिनों में 5189.3 यूनिट जो कि 167.39 प्रति दिन की औसत खपत होती है, के आधार पर परिवादी को विद्युत बिल प्रेषित किये गये है, जिस पर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि इतनी अधिक विद्युत खपत का बिल उन्हें पूर्व में कभी नहीं दिया गया हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के अनुसार बिल दिये जाते रहें, परन्तु एकाएक बिल चक्र अवधि दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 01.04.2023 के मध्य 5189.3 यूनिट का बिल भेजा गया, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

विपक्षी परिवादी को उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकी/तथ्यों सहित साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में 02 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 167.39 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गयी। विद्युत खपत को मंच बिना किसी ठोस तकनीकी/तथ्यों के अभाव में स्वीकार नहीं कर सकता है।

विपक्षी परिवादी की विवादित विद्युत खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक 01.03.2013 से दिनांक 01.04.2023 का बीजक निरस्त कर उक्त बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 02/2023 , 12/2022, 10/2022 क्रमशः (330 +686+298 / 3 = 438 यूनिट प्रति बिल चक्र) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित विद्युत बिल दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 01.04.2023 को निरस्त करें एवं उक्त बिल को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 02/2023, 12/2022, 10/2022 क्रमशः (330 +686 + 298 / 3 = 438 यूनिट प्रति बिल चक्र) के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/02/2024	28/02/24	28.02.2024
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 135/2023

श्री महेश कुमार पुत्र ओम पाल — परिवादी
निवासी– ठाकुरपुर रोड़, जनरल विंग, प्रेमनगर
देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — **दिनांक: 26.02.2024**
श्री त्रिभुवन सिंह — **न्यायिक सदस्य**
श्री सईद अहमद — **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा बिल मेरी खपत से 11894/11849 ज्यादा आया है। जुलाई माह में मेरी खपत से ज्यादा बिल आया है। इसके अलावा और भी 1–2 मेरी वास्तविक खपत से ज्यादा का विद्युत बिल आया है। कृपया इसको वर्तमान रीडिंग से जोडकर मुझे बिल दिया जायें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 1737, दिनांकित 06/12/2023 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. पुराना मीटर संख्या–63192887 दिनांक 14.03.2023 को कम्पलेन नं0–21303230503 दिनांक 13.03.2023 के आधार पर बदला गया था। (छायाप्रति संलग्न)
2. पुराना मीटर संख्या–63192887 को दिनांक 14.03.2023 को विद्युत मीटर में रीडिंग 18401 यूनिट थी। रीडिंग के अनुसार बिल निर्गत किया गया था।
3. पुराना विद्युत मीटर संख्या–63192887 दिनांक 09.03.2023 को विद्युत बिल में मीटर की रीडिंग 18614 यूनिट दर्शायी गयी है। (छायाप्रति संलग्न है)
4. दिनांक 14.03.2023 को पुराना मीटर बदलते समय विद्युत मीटर में रीडिंग 18636 दर्शायी गयी है। तथा नये विद्युत मीटर संख्या–10213182 स्थापित करते समय रीडिंग 0 यूनिट दर्शायी गयी है। (सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध Consumer History के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को एका–एक बिल चक्र 22.07.2022 से मीटर बदलने जाने की तिथि 14.03.2023 तक अर्थात (236) दिनों में 1 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 53.63 यूनिट प्रतिदिन की खपत दर्शायी गयी है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत Consumer History के अनुसार 236 दिनों में परिवादी द्वारा प्रतिदिन 53.63 यूनिट का उपभोग किया गया है।

मंच द्वारा विपक्षी को उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकि रूप से सबित करने के सम्बन्ध में MRI रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित गया, परन्तु विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1755 दिनांकित 13.12.2023 के द्वारा MRI

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु असमर्थता व्यक्त की गई। विपक्षी MRI रिर्पोट प्रस्तुत एवं विवादित खपत का कोई भी तकनीकि प्रमाण आदि मंच में प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध Consumer History के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्रों में मीटर यूनिट के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये जाते रहें हैं, परन्तु एका–एक बिल चक्र 09/2022 से परिवादी को उनकी वास्तविक खपत से अधिक यूनिटों के बिल प्रेषित किये गये हैं, जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि न तो परिवादी की पूर्व में इतनी अधिक विद्युत खपत रही है न ही मीटर बदले जाने की पश्चात्।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि 1 किलोवाट स्वीकृत भार पर बिना तकनीकि प्रमाण के विवादित अवधि में दर्शायी गयी 53.63 यूनिट प्रतिदिन की विद्युत खपत कों मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसी दशा में परिवादी का बिल चक्र 09/2022, 11/2022, 01/2023 एवं 03/2023 के विद्युत बिल निरस्त कर उक्त के स्थान पर पूर्व की तीन बिल चक्रों 07/2022, 05/2022, एवं 03/2022 की औसत खपत क्रमशः (364+229+206 /3 =266.33 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि बिल चक्र 09/2022, 11/2022, 01/2023 एवं 03/2023 में परिवादी को प्रेषित विद्युत बिलों को निरस्त करें एवं उक्त बिलों को पूर्व के तीन बिल चक्रों 07/2022, 05/2022 एवं 03/2022 की औसत खपत क्रमशः (364+229+206 /3 =266.33 यूनिट) प्रति बिल चक्र के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बिलों पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

26/02/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26/02/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

26.02.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 159/2023

Shri. Aman Rathor **V/s** **Executive Engineer, EDD, (S) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 05.02.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 05.02.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा भवन निर्माण हेतु संयोजन संख्या SD69999012893 लिया था, भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उनके द्वारा विद्युत संयोजन को विच्छेदन करा दिया था, एवं जमा जमानत धनराशि प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा अपने बैक खाते के कैन्सेल्ड चैक एवं अन्य औपचारिकताए पूर्ण कर दी गई थी परन्तु चार–पॉच माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हे जमाजमानत धनराशि वापिस नहीं मिल पाई है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में परिवादी द्वारा अपनी ई–मेल दिनांकित 03.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा उनकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है तथा उनके द्वारा योजित वाद निस्तारित किया जाये।

अतः इस परिस्थित में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर ई–मेल के माध्यम से संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी ई–मेल के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

05/02/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

05/02/24
(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

05-02-202
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 137 / 2023

प्रदीप वालिया
C-1 टर्नर रोड़ (पुराने बिजली घर के सामने)
क्लेमेनटाउन, देहरादून।

परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
दिनांक: 22.02.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रदीप वालिया पुत्र श्री स्व0 वेद प्रकाश वालिया निवासी C-1 टर्नर रोड़ (पुराने बिजली घर के सामने) क्लेमेनटाउन, देहरादून की कुछ दुकानें टर्नर रोड़ पर है, जिनका बिजली का बिल समय पर भुगतान ना होने के कारण बिजली काट दी गई है। जिसका भुगतान जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आप से प्रार्थना है हमारी प्रापर्टी पर नया कनेक्शन हमारी अनुमति के बिना ना दिया जायें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1041, दिनांकित 08/12/2023 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 137/2023 श्री प्रदीप वालिया पुत्र श्री स्व0 वेद प्रकाश वालिया निवासी C-1 टर्नर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

रोड़ (पुराने बिजली घर के सामने) क्लेमेनटाउन, देहरादून बनाम उपाकालि0 के समक्ष योजित है, जिसकी सुनवाई दिनांक 11.12.2023 को नियत है। इस सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना है कि दिनांक 02.12.2023 के उपरान्त उपखण्ड कार्यालय के अन्तर्गत श्री प्रदीप वालिया पुत्र स्व0 श्री वेद प्रकाश वालिया सी–1, टर्नर रोड़ (पुराने बिजली घर के सामने) क्लेमेनटाउन के नाम से कोई आवेदन नहीं किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिल के सापेक्ष बकाया राशि चलते के कारण विपक्षी द्वारा परिवादी के संयोजन को विच्छेदित कर दिया गया है। परिवादी द्वारा मंच से निवेदन किया गया है कि बिना उनकी अनुमति के उनके परिसर पर नया विद्युत संयोजन प्रदान न किया जायें।

उपरोक्त चर्चा का अवलोकन करने के पश्चात् मंच का मत है कि विपक्षी मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connection** के नियमानुसार कार्यवाही किये जाना तर्कसंगत एवं न्ययोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code,**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3

Release of New Connection के नियमानुसार कार्यवाही करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

22/02/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/02/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

22-02-202
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 171/2023

जगदीश प्रसाद गैरोला
नि0 चंद्रर परिसर, चंद्रबनी रोड़
देहरादून। — परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 28/02/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा विद्युत बिल समय पर प्राप्त न होने के सम्बन्ध वाद योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक 18.08.2023 से उन्हें विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके क्रम में उनके द्वारा दिनांक 07.11.2023 को कस्टमर केयर में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी टर्नर रोड, देहरादून को दिनांक 29.11.2023 को शिकायत अग्रसारित की गयी, उसके उपरांत दूरभाष द्वारा उपखण्ड अधिकारी ने उक्त शिकायत का निवारण तीन दिन के भीतर निस्तारित किये जाने के लिए कहा गया, बावजूद उसके शिकायत दर्ज कराने की तिथि 01.01.2024 तक भी हमारी शिकायत का निवारण नहीं किया गया। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को हमारी शिकायत का निवारण ससमय आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1238 दिनांकित 26/02/2023 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 171/2023 श्री जगदीश प्रसाद गैरोला, निवासी चन्द्र परिसर चन्द्रबदनी रोड, देहरादून का विद्युत संयोजन सं0 SD75551142700 का विद्युत बिल दिनांक 18.08.2023 के बाद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। अवगत कराना है कि उपभोक्ता को माह जनवरी एवं फरवरी का बिल प्रेषित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिल को समय पर उलब्ध न किये जाने हेतु मंच को अपने पत्रावली के माध्यम से अव कराया गया, जिसके क्रमानुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को माह अगस्त से उन्हें विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ है जिसके क्रम में परिवादी द्वारा मंच से निवेदन किया गया है कि उन्हें विद्युत बिल प्रत्येक माह ससमय पर उपलब्ध कराया जायें। परिवादी की शिकायती पत्र के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी को दिनांक 18.08.2023 के बाद बिल प्राप्त नहीं हुए है, तथा माह जनवरी एवं फरवरी का बिल प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है, कि परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में विद्युत बिल

ससमय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे।. **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/02/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/02/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

28-02-24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 168/2023

Smt. Sushma Sharma **V/s** **Executive Engineer, EDD, Mohanpur**

ORDER SHEET

Date- 19.02.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 19.02.2024 को पेश हुई। परिवादी उपस्थित है। विपक्षी अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में whatsaap के माध्यम से आख्या प्रस्तुत की गई जो पत्रावली के पेज संख्या 15 में पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत बिल में जो वर्तमान पता दर्शाया जा रहा है वो वास्तविक रूप से उनके घर का न आकर बंजारा गली का आ रहा है। मंच से निवेदन है कि वास्तविक पते के स्थान पर बंजारा गली के स्थान पर हमारा वास्तविक पता शहीद के0बी0 थापा गली निकट शमशान घाट पुराना पो0ओ0 सेलाकुई करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 3795 दिनांकित 16.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत बीजक में पता सहीं कर दिया गया जो कि INFINITE PORTAL की हिस्ट्री में दर्शा रहा है तद्अनुसार उनके अगले माह के विद्युत संयोजन बीजक में अंकित होकर आयेगा।

अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19/02/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

19/02/2024
(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

19.02.20
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य